सूचना का अधिकार अधिनियम 2005: भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून का सूचना मैनुअल

प्रस्तावना

(Introduction)

श्रेष्ठ प्रशासन की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा 15 जून 2005 को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 को स्वीकृति प्रदान की गयी। इस अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण प्राविधान तत्काल लागू हो गये। अधिनियम की धारा 4, उपधारा 1 बी के अन्तर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकरण से यह अपेक्षा की गयी है कि अधिनियम के लागू होने के 120 दिन के भीतर 17 बिन्दुओं पर अपना विस्तृत विवरण सूचना मैनुअल के रूप में प्रकाशित करेंगे तथा प्रति वर्ष इस मैनुअल में दी गयी सूचना में आवश्यक संशोधन करेंगे।

भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून, राज्य के भूगर्भिगभीय एवं भौगोलिक संरचना के अध्ययन करने, दैवीय आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों का भूगर्भीय अध्ययन करने, निर्माणकारी योजनाओं हेतु चिन्हित स्थलों की उपयुक्तता के सम्बन्ध में भूगर्भीय अध्ययन करने, राज्य में उपलब्ध खनिज सम्पदा के खनिज अन्वेषण का अध्ययन करने, अन्वेषण के फलस्वरूप प्राप्त खनिज नमूनों के रसायनिक विश्लेषण करने तथा उपखनिज एवं मुख्य खनिजों के विदोहन का तकनीकी अध्ययन एवं प्रशासन सम्बन्धी कार्य हेतु राज्य सरकार के औद्योगिक विकास विभाग के अन्तर्गत उद्योग निदेशालय की एक इकाई है।

इस सूचना मैनुअल का उद्देश्य भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून के संगठन, उद्देश्यों, कार्यों, कार्य प्रणालियों, नीतियों, कार्यक्रमों, व्यवस्थाओं, प्रक्रियाओं, सुविधाओं, सेवाओं, वित्तीय व्यवस्था अदि के सम्बन्ध में अधिकतम सूचना एवं जानकारी उपलब्ध कराना है ताकि नागरिकों को इस संगठन के अस्तित्व और योगदान के सम्बन्ध में आकलन करने व इसकी गतिविधियों में योगदान करने का अवसर प्राप्त हो सके। इस प्रकार यह सूचना मैनुअल क्षमता विकास प्राप्त करने वाले संगठनों, विभागों, संस्थाओं, व्यक्तियों आदि के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा और वह इकाई की सेवाओं और सुविधाओं का बेहतर लाभ ले सकेंगे। इकाई में कार्य करने वाले अधिकारयिों और कर्मचारियों के कार्य निष्पादन की दृष्टि से यह विशेष रूप से उपयोगी होगा।

इस सूचना मैनुअल में 17 मैनुअल सम्मिलित हैं जिनका सूत्र सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 उपधारा 1 बी में वर्णित बिन्दुओं में विद्यमान है। प्रत्येक मैनुअल स्वयं में विशिष्ट है तथा इनमें दी गयी सूचना भी विषय के अनुरूप है। तथापि कुछ अध्यायों में विषय वस्तु की पुनरावृति की उपेक्षा नही की जा सकती है। वस्तुतः यह विभिन्न अध्यायों की विषय वस्तु की निरन्तरता को प्रदर्शित करता है। सूचना मैनुअल में दी गयी सूचना का काफी बड़ा भाग इस इकाई की गतिविधियों एवं कार्य प्रणाली के अनुभव के आधार पर विकसित किया गया है और इस दृष्टि से यह परम्परागत जानकारी से पृथक सृजनात्मक भी है।

विशिष्ट संगठन होने के कारण सूचना मैनुअल में सामान्य प्रशासनिक, तकनीकी व कार्यालय सम्बन्धी शब्दावली व भाषा का प्रयोग किया गया है। ताथापि यह प्रयास किया गया है कि भाषा सरल समझने योग्य व मैनुअल का उपयोग करने वाले संगठन, व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक हो। फिर भी आवश्यकता पड़ने पर इकाई के कार्यालय से स्पष्टीकरण लिया जा सकता है।

सूचना मैनुअल में समायोजित विषयों एवं अन्य जानकारी के लिए इकाई में सीापित सूचना अधिकार अधिनियम प्रकोष्ठ, कार्यालय अधिकारियों, पुस्तकालय एवं विभिन्न पटलों पर कार्य करने वाले कार्मिकों से संपर्क किया जा सकता है। इस सूचना मैनुअल में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त अन्य सूचना उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी नियमों के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त की सकती है। इस सम्बन्ध में इकाई के लोक सूचना अधिकारी, सूचना अधिकार प्रकोष्ठ व पुस्तकालय से सम्पर्क किया जा सकता है।